पटना समाहरणालय, पटना
(विधि शाखा)

आदेश

1. सी०डब्लू०जे०सी०सं0–15425/2007 श्रीमती प्रमीला देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा दिनांक 04.04.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्रीमती प्रमीला देवी द्वारा दिनांक 29.04.13 को दिए गए अभ्यावेदन का निष्पादन तीन महीने के अंदर गृह(विशेष) विभाग द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र एवं बिहार सरकार के संगत परिपत्रों (Annexure-8) के आलोक में नियमानुसार करने का निदेश दिया गया है।

2. आदेदिका श्रीमती प्रमीला देवी द्वारा समर्पित प्रासंगिक आवेदन अपने पति स्व0 शिव शंकर ठाकुर (ट्रक चालाक) की अपराधियों द्वारा ग्राम–खर्रा चननिया, थाना सूर्यगढ़ा, जिला लखीसराय में अपराधियों द्वारा की गयी हत्या के आलोक में उन्हें अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति से संबंधित है।

3. श्रीमती प्रमिला देवी के अभ्यावेदन के निस्तार के क्रम में दिनांक 28.05.13 को तिथि निर्धारित कर आवेदिका का पक्ष सुना गया। सुनवाई के क्रम में श्रीमती प्रमीला देवी द्वारा अनुग्रह अनुदान राशि के साथ मृतक के आश्रित को नौकरी देने की भी मांग की गई। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें रहने के लिए जमीन नहीं है और वर्तमान में वे चाचा ससुर के घर में रह रही है। इनके द्वारा अपने लिए भूमि उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया।

4. विषयांकित वाद में दिनांक 01.03.13 को पारित आदेश के क्रम में गृह (विशेष) विभाग के पत्रांक 2361 दिनांक 11.03.13 के द्वारा जिलाधिकारी, लखीसराय को सरकारी योजनाओं के तहत आवेदिका प्रमीला देवी को देय लाभ उपलब्ध करने का निदेश दिया गया। इसी प्रसंग में जिलाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक 135 दिनांक 12.03.13 के द्वारा सरकार को सूचित किया गया कि मृतक ग्राम+पो0–मंराची, जिला पटना के निवासी थे, अतः उनकी आश्रिता प्रमीला देवी को लखीसराय जिला से किसी प्रकार का लाभ दिया जाना संभव नहीं है।

5. जिलाधिकारी, लखीसराय से पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ को पत्रांक 1367 दिनांक 21.03.13 द्वारा आवेदिका को सरकारी योजनाएँ यथा इंदिरा आवास योजना, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभ देने तथा भूमिहीन होने की स्थिति में भूमि की बंदोबस्ती करने का निदेश दिया गया।

6. अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ ने अपने पत्रांक 592 दिनांक 02.04.13 द्वारा सूचित किया कि आवेदिका को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ पूर्व में मिल चुका है तथा वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया जा रहा हैं। आवेदिका बी0पी0एल0 की श्रेणी में है तथा इन्हें बी0पी0एल0 योजना के तहत खाद्यान एवं किरासन तेल प्राप्त हो रहे है। अनुमंडल पदाधिकारी ने यह भी उल्लेख किया है कि आवेदिका स्वयं वार्ड सं0 7 की वार्ड सदस्या है। आवेदिका के परिवार के सदस्य को मनरेगा के तहत कार्य उपलब्ध कराने का प्रस्ताव देने पर आवेदिका के द्वारा बताया गया कि उनके बच्चे शिक्षित है तथा मनरेगा योजना में कार्य नहीं करना चाहते है।

7. आवेदिका का प्रतीक्षा सूची क्रमांक 765 एवं अंक 12 है। वर्तमान में मोकामा प्रखंड में 11 अंक वाले प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। विभागीय निदेशानुसार क्रम वार ही इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जा सकता हैं। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 1553 दिनांक 05.04.13 द्वारा गृह विभाग से मंतव्य की मांग की गई

कि क्या विशेष परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवेदिका को इंदिरा आवास योजना की प्रतीक्षा क्रम तोड़कर इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जा सकता है या नहीं। इस संबंध में विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक 148716 दिनांक 20.05.13 द्वारा प्राप्त हुआ उसके द्वारा सूचित किया गया कि इंदिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाए गए मार्गदर्शिका के आलोक में इंदिरा आवास योजना आवंटन प्रतीक्षा सूची में वरीयता क्रम के आधार पर किया जाता है। ऐसी स्थिति में आवेदिका को क्रम तोडकर इंदिरा आवास का लाभ देना संभव नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा को निदेश दिया जाता है कि प्रतीक्षा सूची में आवेदिका का क्रम आते हुए उन्हें इंदिरा आवास योजना का लाभ उपलब्ध करा दिया जाय।

8. सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा नौकरी की मांग भी की गई है। विषयगत मामले में नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः उनकी मांग को अस्वीकृत किया जाता है।

9. माननीय उच्च न्यायालय में याचिका के साथ संलग्न संगति सरकारी पत्रों **Annexure-8** के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सरकार के उप सचिव,गृह (विशेष) विभाग द्वारा जिलाधिकारी,लखीसराय को निदेश दिया गया था कि यदि मृतक के परिवार में कोई रोजगार योग्य व्यक्ति बचा हो तो उसे सरकार द्वारा अन्य रोजगार देने वाली योजनाएं यथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि के अन्तर्गत स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाय। यदि भूमिहीन परिवार के हो तो विहित प्रक्रिया के अनुसार भूमि की नियमित बंदोबस्ती की कार्रवाई की जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी,बाढ़ को निदेश दिया जाता है कि यदि मृतक के परिवार में कोई रोजगार योग्य व्यक्ति हो तो उसे जिला उद्योग केन्द्र,पटना से सम्पर्क कर प्रधानमंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत स्वरोजगार दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। चूंकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित है, अतः इसमें त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है।

अंचल अधिकारी, मोकामा को निदेश दिया जाता है कि यदि आवेदिका प्रमिला देवी भूमिहीन हो तो मामले की जांच कर विहित प्रकिया के अनुसार उन्हें भूमि की नियमित बंदोबस्ती की कार्रवाई की जाय।

10. प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा अनुमोदित माननीय उच्च न्यायालय में दायर प्रतिशपथ पत्र के अवलोकन से निम्न तथ्य ज्ञात होते है :–

i. जिलाधिकारी, लखीसराय ने अपने पत्रांक 127/गो0 दिनांक 01.02.96 एवं पत्रांक 1469/गो0 दिनांक 25.09.96 द्वारा आवेदिका का दावा पत्र अग्रसारित किया था।
ii. जिस समय आवेदिका के पति की हत्या हुई थी उस समय परिपत्र सं0 1701 दिनांक 21.09.87 प्रचालित था उक्त परिपत्र में अपराधकर्मी द्वारा मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि देने का प्रावधान नहीं था।
iii. मा0 मुख्यमंत्री द्वारा अनुग्रह अनुदान राशि देने की घोषणा के संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। परन्तु जिलाधिकारी की अनुंशसा के आलोक में एक लाख रूपये देने की सूचना जिलाधिकारी लखीसराय को दी गई थी।
iv. चूंकि अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान परिपत्र सं0 1701 दिनांक 21.09.87 से अच्छादित नहीं था अतः इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु वित विभाग को भेजा गया।
v. वित विभाग द्वारा इस संचिका को मा0 मुख्यमंत्री को भेजी गयी, जो बिना किसी आदेश के वापस आ गयी।
vi. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0 5808/1997 धर्मशीला कुंवर बनाम राज्य में आदेश पारित किया गया कि आंतकवादी/नक्सली/जातीय/निर्वाचन संबंधित

हिंसा के शिकार लोगों/आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिए जाने हेतु एक पारदर्शी नियम बनाया जाये। तदनुसार राज्य सरकार नियम बनाते हुए इसे पत्र सं0 A/Vi 2610/96 Part 1972/सी. दिनांक 09.08.2000 से सभी संबंधित को भेजा गया, जिसे पत्र सं0 A/Vi 2610/96 Part 25/ सी. दिनांक 12.01.01 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

vii. उक्त परिपत्र के Clause (1)(e) में यह व्यवस्था की गई है कि 01.04.90 के बाद हिंसा के अन्य मामलों में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुख्यमंत्री के घोषणा के उपरान्त विशेष परिस्थिति में एक लाख रूपया अनुग्रह अनुदान की राशि दी जायेगी। यह राशि वित विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर दी जायेगी।

उक्त परिपत्र के परिचालित होने के उपरान्त गृह (विशेष) विभाग द्वारा पुनः विषयगत मामले को अनुमोदन हेतु वित विभाग को भेजा गया।

viii. चूंकि आवेदिका का दावा परिपत्र सं0 25/सी0 दिनांक 12.01.01 से अच्छादित नहीं था एवं मा0 मुख्यमंत्री द्वारा भुगतान की घोषणा का कोई साक्ष्य नहीं थी। अतः वित विभाग के द्वारा इस विषयांकित मामले को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष आदेशार्थ उपस्थापित किया था। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आवेदिका के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया, जिसकी सूचना जिलाधिकारी, लखीसराय को दे दी गई थी।

11. आवेदिका का दावा अनुग्रह अनुदान हेतु प्रचालित नियमों/परिपत्रों से आच्छादित नहीं है तथा इसे मा0 मुख्यमंत्री के द्वारा भी अस्वीकृत कर दिया गया है। अतः उक्त के आलोक में आवेदिका द्वारा अनुग्रह अनुदान राशि की मांग को अस्वीकृत किया जाता है।

अतः इस रूप में दिनांक 29.04.2013 के अभ्यावेदन को निस्तारित किया जाता है सभी संबंधित को इसकी सूचना तत्काल दे दी जाय।

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक /दिनांक

प्रतिलिपिः– श्रीमती प्रमीला देवी,पति–स्व0 शिव शंकर ठाकुर,ग्राम+पो0–मंराची,जिला–पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 2545 /दिनांक 3/6/13

प्रतिलिपिः– अपर सचिव,गृह (विशेष) विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़/ महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, पटना अंचल अधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

जिलाधिकारी,
पटना।